ADMINISTRATION OF JUSTICE DEPARTMENT

The 10th January, 1984

No. 21/39/78-JJ(4)-Part II.—In exercise of the powres conferred by section 20(1) of the Code of Criminal Procedure, 1973, the Governor of Haryana hereby appoints Shri M. S. Kadian, Naib-Tehsildar to be Executive Magistrate for Mahindergarh District.

L. C. GUPTA,

Secretary to Government, Haryana,
Administratton of Justice Department.

राजस्व विभाग

युद्ध जागीर

दिनांक 23 जनवरी, 1984

क्रमांक **11-ज-(II)-83/1983**.—श्री जुगलाल, पुत्र श्री लाला, गांव जहादपुर, तहसील झज्जर, जिला रोहतक, की दिनांक 20 जून, 1981 को हुई मृत्यु के परिणामस्वरूप, हरियाणा के राज्यपाल, पूर्वी पंजाब युद्ध पुरस्कार अधिनियम, 1948 (जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में अपनाया गया है और उसमें आज तक संशोधन किया गया है) की धारा 4 एवं 2(ए) (1ए) तथा 3(1ए) के अधीन प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुये श्री जुगलाल की मुब्लिग 300 रुपये वार्षिक की जागीर जो उसे हरियाणा सरकार की अधिसूचना क्रमांक 1069-ज-(II)-83/39710, दिनांक 30 नवम्बर, 1983 द्वारा मंजूर की गई थी, अब उसकी विधवा श्रीमती सुख देवी के नाम रबी 1982 से 300 रुपये वार्षिक की दर से सनद में दी गई शर्तों के अन्तर्गत प्रदान करते हैं ।

दिनांक 24 जनवरी, 1984

क्रमांक **1782-ज(II)-83/2129**.—श्री राम सिंह, पुत्र श्री हरदयाल सिंह, गांव मोड़ी, तहसील दादरी, जिला भिवानी की दिनांक 15 मार्च, 1982 को हुई मृत्यु के परिणाम स्वरूप, हरियाणा के राज्यपाल, पूर्वी पंजाब युद्ध पुरस्कार अधिनियम, 1948 (जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में अपनाया गया है और उसमें आज तक संशोधन किया गया है) की धारा 4 एवं 2(ए) (1ए) तथा 3(1ए) के अधीन प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री राम सिंह की मुब्लिग 300 रुपये वार्षिक की जागीर जो उसे हरियाणा सरकार की अधिसूचना क्रमांक 1431-ज-(I)-78/26733, दिनांक 26 सितम्बर, 1978, तथा अधिसूचना क्रमांक 1789-ज (I)-79/44040, दिनांक 30 अक्तूबर, 1979 द्वारा मंजूर की गई थी, अब उसकी विधवा श्रीमती बुजी देवी के नाम खरीफ, 1982 से 300 रुपये वार्षिक की दर से सनद में दी गई शर्तों के अन्तर्गत प्रदान करते हैं।

दिनांक 25 जनवरी, 1984

क्रमांक **1692-ज(II)-83/2374.**—श्री रामजी लाल, पुत्र श्री लाल जी, गांव बनीपुर, तहसील बावल, जिला महेन्द्रगढ़, की दिनांक 11 अगस्त, 1983 को हुई मृत्यु के परिणामस्वरूप हरियाणा के राज्यपाल, पूर्वी पंजाब युद्ध पुरस्कार अधिनियम, 1948 (जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में अपनाया गया है और उसमें आज तक संशोधन किया गया है) की धारा 4 एवं 2(ए) (1ए) तथा 3(1ए) के अधीन प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री रामजीलाल की मुब्लिग 300 रुपये वार्षिक की जागीर जो उसे हरियाणा सरकार की अधिसूचना क्रमांक 590-आर-III-69/8690, दिनांक 24 अप्रैल, 1969, अधिसूचना क्रमांक 5041-आर-III-70/29505, दिनांक 8 दिसम्बर, 1970 तथा 1789-ज-I-79/44040, दिनांक 30 अक्तूबर, 1979 द्वारा मन्जूर की गई थी, अब उसकी विधवा श्रीमती छोटी देवी के नाम रबी, 1984 से 300 रुपये वार्षिक की दर से सनद में दी गई शर्तों के अन्तर्गत प्रदान करते हैं ।

दिनांक 31 जनवरी, 1984

क्रमांक **61-ज-(II)-84/2642**.—पूर्वी पंजाब युद्ध पुरस्कार अधिनियम, 1948 (जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में अपनाया गया है और उसमें आज तक संशोधन किया गया है) की धारा 2(ए) (1) तथा 3(1) के अनुसार सौंपे गये अधिकारों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल श्रीमती मंगु देवी, विधवा श्री अमर सिंह, गांव दूमना, तहसील कोसली, जिला रोहतक, को खरीफ, 1977 से खरीफ, 1979 तक 150 रुपये वार्षिक तथा रबी, 1980 से 300 रुपये वार्षिक कीमत की युद्ध जागीर सनद में दी गई शर्तों के अनुसार सहर्ष प्रदान करते हैं ।